

प्रेस नोट दिनांक 17.02.2025 जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक – 17.02.2026

थाना – दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

बाबा बेलखरनाथ धाम मंदिर में चेन झपटमारी का सफल अनावरण — 03 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की चेन के कटे टुकड़े, पायल व नकदी बरामद

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में मंदिर परिसर में हुई चेन झपटमारी की घटना का थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा सफल अनावरण करते हुए 01 महिला सहित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से पीली धातु (सोने) की चेन के कटे हुए 07 टुकड़े, सफेद धातु (चांदी) की पायल के 16 कटे टुकड़े तथा ₹1,200/- नगद बरामद किए गए हैं।

घटना का विवरण—

दिनांक 14.02.2026 को वादी रजनीश मिश्रा निवासी जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना दिलीपपुर पर सूचना दी गई कि बाबा बेलखरनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह में दर्शन के दौरान अज्ञात महिला द्वारा उनकी माता के गले से सोने की चेन झपट ली गई। उक्त सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 28/2026 धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री बलराम सिंह के नेतृत्व में थाना दिलीपपुर के उ0नि0अनुपम पटेल मय हमराही का० आशीष कुमार, का० धीरज, म०का० वंदना कुमारी व म०का० संगीता यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग व सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर उ0नि0 अनुपम पटेल मय हमराही टीम द्वारा जगदीशगढ़ चौराहे के पास 01 महिला व 02 पुरुषों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम क्रमशः— 1. शीला पत्नी मटरू निवासी कोल मोदीपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष, 2. मटरू पुत्र लालचंद निवासी उपरोक्त उम्र करीब 48 वर्ष, 3. शकील पुत्र मटरू निवासी उपरोक्त उम्र करीब 22 वर्ष बताया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्तों के पास से चेन के कटे टुकड़े, पायल के टुकड़े एवं नकदी बरामद हुई। बरामद माल को विधिवत सील कर कब्जे पुलिस में लिया गया।

पूछताछ में खुलासा—

अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे संगठित गिरोह बनाकर भीड़भाड़ वाले मंदिरों व मेलों में महिलाओं के आभूषण काटकर चोरी/झपटमारी करते हैं तथा सामान को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर औने-पौने दाम में बेच देते हैं। घटना में इनके दो अन्य साथी— 4. जयकिशन उर्फ जैकी पुत्र सुनील कुमार व 5. पूजा पत्नी जयकिशन उर्फ जैकी निवासीगण ग्राम मलिकसुदनी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़—का नाम भी प्रकाश में आया है, जो वर्तमान में फरार हैं।

बरामदगी एवं साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस तथा संगठित अपराध के अंतर्गत धारा 112 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों को नियमानुसार न्यायालय भेजा जा रहा है तथा फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी हैं।

बरामदगी-

पीली धातु (सोने) की चेन के कटे हुए 07 टुकड़े, सफेद धातु (चांदी) की पायल के 16 कटे टुकड़े तथा ₹1,200/- नगद बरामद

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0अनुपम पटेल मय हमराही का० आशीष कुमार,का0 धीरज, म0का0 वंदना कुमारी व म०कां0 संगीता यादव थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 17.02.2026

थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से संबंधित 05 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार -

गिरफ्तार अभियुक्तों पर जनपद प्रतापगढ़ में हत्या का प्रयास, गैर इरादतन हत्या, व गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर अपराध पंजीकृत हैं।

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा अभियुक्तों को थाना क्षेत्रान्तर्गत सोना सैरैया गांव स्थित गंगा अन्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री मनोज कुमार तोमर के नेतृत्व में उ0नि0 उमाशंकर सिंह मय हमराह उ0नि0 मुन्ना यादव, उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह, उ0नि0 सूबेदार राय, का0 अभिनव द्विवेदी, का0 रामनिवास, म0का0 अमृता तिवारी, का0 कुलदीप यादव व चालक का0 अमित सिंह द्वारा मु0अ0सं0 28/2026 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम थाना संग्रामगढ़ से संबंधित 05 अभियुक्त, 1.वीरेन्द्र यादव पुत्र मेवालाल यादव निवासी नरई थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 31 वर्ष, 2.सागर नाई पुत्र राजेश सेन नि० नरई थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष, 3.रमेश कोहार पुत्र कमलेश कोहार नि0 नरई थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 29 वर्ष, 4.अंकुश सिंह पुत्र रूपाल सिंह नि0 नरई थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष, 5.रामेन्द्र सरोज उर्फ पंकज पुत्र राजाराम सरोज नि० हिसामपुर थाना संग्रामगढ़ प्रतापगढ़ उम्र करीब 31 वर्ष को थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत सोना सैरैया गांव स्थित गंगा अन्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. वीरेन्द्र यादव पुत्र मेवालाल यादव निवासी नरई थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 31 वर्ष।
2. सागर नाई पुत्र राजेश सेन नि० नरई थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष।
3. रमेश कोहार पुत्र कमलेश कोहार नि0 नरई थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 29 वर्ष।
4. अंकुश सिंह पुत्र रूपाल सिंह नि0 नरई थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष।
5. रामेन्द्र सरोज उर्फ पंकज पुत्र राजाराम सरोज नि० हिसामपुर थाना संग्रामगढ़ प्रतापगढ़ उम्र करीब 31 वर्ष।

01.अभियुक्त वीरेन्द्र यादव पुत्र मेवालाल यादव निवासी नरई थाना संग्रामगढ जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 31 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 244/24 धारा 61(2)/217/231/308(6) बीएनएस, थाना संग्रामगढ, जनपद प्रतापगढ।
02. मु0अ0सं0 245/24 धारा 61(2)/190/191(1)/191(2)/352/353/132/221/285 बीएनएस व 7 CLA ACT, थाना संग्रामगढ, जनपद प्रतापगढ।
03. मु0अ0सं0 28/26 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट, थाना संग्रामगढ, जनपद प्रतापगढ।

02.अभियुक्त सागर नाई पुत्र राजेश सेन नि० नरई थाना संग्रामगढ जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 20 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 243/24 धारा 191(2)/115(2)/352/109 बीएनएस, थाना संग्रामगढ, जनपद प्रतापगढ।
02. मु0अ0सं0 28/26 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट, थाना संग्रामगढ, जनपद प्रतापगढ।

03.अभियुक्त अंकुश सिंह पुत्र रुपाल सिंह नि0 नरई थाना संग्रामगढ जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 27 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 115/22 धारा 147/148/149/308/323/325/427/504 भा0दं0सं0, थाना संग्रामगढ, जनपद प्रतापगढ।
02. मु0अ0सं0 245/24 धारा 61(2)/190/191(1)/191(2)/352/353/132/221/285 बीएनएस व 7 CLA ACT, थाना संग्रामगढ, जनपद प्रतापगढ।
03. मु0अ0सं0 28/26 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट, थाना संग्रामगढ, जनपद प्रतापगढ।

04.अभियुक्त रामेन्द्र सरोज उर्फ पंकज पुत्र राजाराम सरोज नि० हिसामपुर थाना संग्रामगढ प्रतापगढ उम्र करीब 31 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 245/24 धारा 61(2)/190/191(1)/191(2)/352/353/132/221/285 बीएनएस व 7 CLA ACT, थाना संग्रामगढ, जनपद प्रतापगढ।
02. मु0अ0सं0 28/26 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट, थाना संग्रामगढ, जनपद प्रतापगढ।

05.अभियुक्त रमेश कोहार पुत्र कमलेश कोहार नि0 नरई थाना संग्रामगढ जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 29 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 69/20 धारा 188/269/270 भा0दं0सं0, थाना संग्रामगढ, जनपद प्रतापगढ।
02. मु0अ0सं0 277/23 धारा 147/148/323/352/427/504/506 भा0दं0सं0 व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट, थाना संग्रामगढ, जनपद प्रतापगढ।
03. मु0अ0सं0 245/24 धारा 61(2)/190/191(1)/191(2)/352/353/132/221/285 बीएनएस व 7 CLA ACT, थाना संग्रामगढ, जनपद प्रतापगढ।
04. मु0अ0सं0 28/26 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट, थाना संग्रामगढ, जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 उमाशंकर सिंह मय हमराह उ0नि0 मुन्ना यादव, उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह, उ0नि0 सूबेदार राय, का0 अभिनव द्विवेदी, का0 रामनिवास, म0का0 अमृता तिवारी, का0 कुलदीप यादव व चालक का0 अमित सिंह, थाना संग्रामगढ, जनपद प्रतापगढ।

प्रेस नोट दिनांक 17.02.2026

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना बाघराय पुलिस द्वारा अपहरण, पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त सुभाष सरोज को किया गया गिरफ्तार-

थाना बाघराय पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत पीथीपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 देवी दयाल कश्यप मय हमराह का0 संदीप कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137 (2)/87/74/351 (3)/127 (2) बीएनएस व 7/8 पोस्को एक्ट थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त, 1.सुभाष सरोज पुत्र मुन्नू लाल निवासी ग्राम लच्छीपुर देवरपट्टी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत पीथीपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सुभाष सरोज पुत्र मुन्नू लाल निवासी ग्राम लच्छीपुर देवरपट्टी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 देवी दयाल कश्यप मय हमराह का0 संदीप कुमार थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक- 17.02.2026

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा "हत्या" के अभियोग से संबंधित विवेचना के दौरान प्रकाश में आये 03 अभियुक्त गिरफ्तार व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल, 03 अदद मोबाइल व 12,200/- रुपये नगद बरामद।

थाना नवाबगंज पुलिस की बड़ी सफलता — जमीनी विवाद में सुपारी लेकर की गई योजनाबद्ध हत्या का खुलासा, 03 अभियुक्त गिरफ्तार; मोटरसाइकिल, मोबाइल व नकदी बरामद-

अभियुक्तों को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत कंदई मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.02.2026 को वादिनी निवासी ग्राम गहरू का पुरवा, अब्दुल वाहिदगंज थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ की तहरीर के अनुसार उनकी ननद जो अपने पति की मृत्यु के बाद पिछले 07 वर्षों से उनके साथ रह रही थीं तथा जिनका अपने सौतेले पुत्र से जमीनी विवाद चल रहा था। वादिनी की ननद घर के दूसरे कमरे में बैठी थीं। उसी दौरान कुछ अज्ञात व्यक्ति कमरे में आए और गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। इस संबंध में थाना नवाबगंज में मु0अ0सं0 12/2026 धारा 333/103 (1) बीएनएस बनाम कुछ अज्ञात व्यक्ति का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए उच्चाधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। घटना के अनावरण हेतु टीमों गठित कर संबंधित को कड़े निर्देश दिये गए थे।

इसी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थानाध्यक्ष सन्तोष कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 शिशिर पटेल, उ0नि0 मिथिलेश राजपूत, हे0का0 इन्द्रजीत सिंह, का0 पंकज सिंह, का0 रमेश चन्द्र, व चालक हे0का0 रामजन्म द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 12/2026 धारा 333/103 (1) बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 03 अभियुक्त, 1.विशाल पुत्र राकेश सरोज निवासी ग्राम राजापुर माफी थाना सलोन जनपद रायबरेली उम्र करीब 20 वर्ष, 2.शिवकुमार पुत्र राम गोपाल निवासी ग्राम पूरे राठौरा सिरसिर थाना सलोन जनपद रायबरेली उम्र करीब 32 वर्ष, 3.महेन्द्र सिंह चौहान पुत्र राजभान सिंह चौहान निवासी ग्राम ककरारा थाना दन्नाहार जनपद मैनपुरी हालपता ग्राम पूरे राठौरा सिरसिरा थाना सलोन जनपद रायबरेली उम्र करीब 51 वर्ष को थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत कंदई मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है।

मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के तहत मृत्तिका उर्मिला की हत्या की गई। उक्त तथ्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 61(2)(ए), 3(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है तथा घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल को अन्तर्गत धारा 207 मोटर वाहन अधि0 के तहत सीज किया गया।

अभियुक्तों से पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त शिवकुमार ने बताया कि उसने परमेश पटेल (निवासी थाना सलोन, रायबरेली) से ₹05 लाख की सुपारी लेकर अपने भांजे विशाल सरोज, उसके साथी मो0 तौफिक व एक अन्य अज्ञात सहयोगी तथा सह-अभियुक्त महेन्द्र सिंह के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 01.02.2026 को उर्मिला की गला दबाकर हत्या की। बताया कि मृत्तिका की सलोन बाईपास स्थित कीमती भूमि को लेकर विवाद था तथा बयान पूर्ण होने से पूर्व उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। घटना से पूर्व रैकी की गई और हत्या के उपरांत परमेश द्वारा ₹2.50 लाख दिए गए, जिनका आपस में बंटवारा किया गया। बरामद धनराशि उसी सुपारी की बताई गई। अभियुक्तों ने यह भी बताया कि शक होने पर परमेश ने उन्हें कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाने को कहा था, आज हम तीनों लोग गंगा पार जा रहे थे, कि आप लोगो ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 01.विशाल पुत्र राकेश सरोज निवासी ग्राम राजापुर माफी थाना सलोन जनपद रायबरेली उम्र करीब 20 वर्ष।
- 02.शिवकुमार पुत्र राम गोपाल निवासी ग्राम पूरे राठौरा सिरसिर थाना सलोन जनपद रायबरेली उम्र करीब 32 वर्ष।
- 03.महेन्द्र सिंह चौहान पुत्र राजभान सिंह चौहान निवासी ग्राम ककरारा थाना दन्नाहार जनपद मैनपुरी हालपता ग्राम पूरे राठौरा सिरसिरा थाना सलोन जनपद रायबरेली उम्र करीब 51 वर्ष।

बरामदगी-

- 01 अदद मोटर साइकिल, 03 अदद मोबाइल व 12,200/- रुपये नगद बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

थानाध्यक्ष सन्तोष कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 शिशिर पटेल, उ0नि0 मिथिलेश राजपूत, हे0का0 इन्द्रजीत सिंह, का0 पंकज सिंह, का0 रमेश चन्द्र, व चालक हे0का0 रामजन्म थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।